रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 157] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 15, 1970/भाद्र 24, 1892
No. 157] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 15, 1970/BHADRA 24, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 15th September, 1970

SUBJECT.—*Grant of emergency licences for import of spares to Irrigation and Power Projects.*

No. 141-ITC(PN)/70.—Attention is invited to para 193 in Chapter VIII of the I.T.C. Hand Book of Rules and Procedure, 1970, according to which the facility provided to Actual Users for the grant of emergency licences for import of spare parts will also be available to the Industrial Undertakings in the Public sector upto a total value of Rs. 10,000 in each case during the course of licensing period

2. It has been decided to extend the facilities mentioned above also to non-industrial undertakings in the Public sector *viz.* Irrigation and Power Projects for import of emergency spares upto a total value of Rs. 10,000 in each case during the course of a licensing period. Applications for emergency spares can be made by the Irrigation and Power Projects to the regional licensing authority concerned. In each application, the Irrigation and Power Projects should indicate the value of emergency spares licences already obtained or applied for during the licensing period.

3. The following new paragraph may, therefore, be deemed to have been added after the existing paragraph 217 of the I.T.C. Hand Book of Rules and Procedure 1970.

"217-A The facility provided in paragraph 193 for issue of emergency licences for import of spare parts to Industrial undertakings in the Public sector upto a total value of Rs. 10,000 in each case during the course of a licensing period will also be available to Irrigation and Power Projects in the Public sector. Applications for emergency spares can be made by the Irrigation and Power Projects to the regional licensing authority concerned. In each application, the Irrigation and Power Projects should indicate the value of emergency spares licences already obtained or applied for during the licensing period."

R. J. REBELLO,
Chief Controller of Importors & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 1970

विषय : सिंचाई तथा बिजली परियोजनाओं के लिए फालतू पुर्जों के आयात के लिए आपात लाइसेंस प्रदान करना ।

सं० 141-आई०टी०सी०(पी० एण्ड०)/70.—आयात व्यापार नियंत्रण नियम और कार्यविधि पुस्तक, 1970 (हैंड बुक) के अध्याय आठ में कंडिका 193 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है उसके अनुसार फालतू पुर्जों के आयात के लिए आपात लाइसेंस के लिए जो सुविधाएं वास्तविक उपभोक्ताओं को प्रदान की गई हैं, वे सुविधाएं सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक संस्थानों को भी हर मामले में कुल 10,000 रुपये मूल्य तक के लिए लाइसेंस अवधि के दौरान उपलब्ध कराई जाएंगी ।

2. ऊपर बताई गई सीमा तक की सुविधाएं गैर-सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक संस्थानों जैसे लाइसेंस अवधि के दौरान प्रत्येक मामले में कुल 10,000 रुपये मूल्य के आपात् फालतू पुर्जों के आयात के लिए सिंचाई और बिजली परियोजनाओं को भी देने का निश्चय किया गया है । सिंचाई और बिजली परियोजनाओं द्वारा आपात् फालतू पुर्जों के लिए आवेदन पत्र सम्बन्धित क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारी को दिए जा सकते हैं । सिंचाई और बिजली परियोजनाओं को आपात् फालतू पुर्जों के लाइसेंस के लिए जो मूल्य पहले ही मिल चुका है या लाइसेंस की अवधि के दौरान जितने के लिए आवेदन किया है उसे प्रत्येक आवेदन-पत्र में संकेत कर देना चाहिए ।

3. अतः निम्नलिखित नई कंडिका को नियम और कार्यविधि 1970 के आयात व्यापार नियंत्रण हैंडबुक की वर्तमान कंडिका 217 के बाद जोड़ा गया समझा जाए :—

"217-ए सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक संस्थानों को हर मामले में कुल 10,000 रुपये मूल्य तक के लिए लाइसेंस अवधि के दौरान कंडिका 193 में फालतू पुर्जों के आयात के लिए आपात लाइसेंस जारी करने की जो सुविधाएं प्रदान की गई हैं, वे सुविधाएं सरकारी क्षेत्र के सिंचाई और

बिजली परियोजनाओं को भी उपलब्ध कराई जाएंगी । सिंचाई और बिजली परियोजनाओं द्वारा आपात फालतू पुर्जों के लिए आवेदन-पत्र सम्बन्धित क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारी को दिए जा सकते हैं । सिंचाई और बिजली परियोजनाओं को आपात् फालतू पुर्जों के लाइसेंस के लिए जो मूल्य पहले ही मिल चुका है या लाइसेंस की अवधि के दौरान जितने के लिए आवेदन किया है उसे प्रत्येक आवेदन-पत्र में संकेत कर देना चाहिए ।"

आर० जे० खैलो,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970